



Neutral Citation-2026:AHC:21545

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या - 3292 वर्ष 2026

सत्य नारायण और अन्ययाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिव लाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादियों को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालाँकि, यदि निजी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/बदलाव की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, हंडिया, जिला प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या 854/2023 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202302030400854) (सत्य नारायण और अन्य बनाम ग्राम सभा) में दायर दिनांक 05.05.2025 के रिकॉल आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें।

4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, हंडिया, जिला प्रयागराज, उपर्युक्त मामले में दायर रिकॉल आवेदन पर कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें; बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो, और इस प्रक्रिया में अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"